



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)
नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1381/MP/39/2023-ESDW

दिनांक: 11.04.2023

श्री इकबाल सिंह बैस,
मुख्य सचिव,
मध्य-प्रदेश शासन,
एम.पी मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्य-प्रदेश -462004
ई-मेल: cs@mp.nic.in

श्री मनीष रस्तोगी,
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
मध्यप्रदेश शासन,
एम.पी मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्य-प्रदेश -462004
ई-मेल: psrevenue@mp.gov.in

श्री विवेक जोशी,
सचिव (एफ.एस.)
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
6ए, तृतीय तल, जीवनदीप भवन
संसद मार्ग, दिल्ली - 110001
ईमेल- secy-fs@nic.in


श्री एम.के. जैन,
उप-गवर्नर,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
19वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुंबई-400 001, महाराष्ट्र,
ई-मेल: dgmkj@rbi.org.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की भूमि बंधक रखकर ऋण लेने की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान नहीं किये जाने बाबत श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके का दिनांक 09.02.2023 का अभ्यावेदन.

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके से दिनांक 09.02.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके,
संसद सदस्य (लोक सभा),
29 बैतूल-हरदा-हरदूस, मध्य प्रदेश,
सांसद सुविधा केंद्र, सदर बैतूल-460001,
मध्य प्रदेश के पत्र सं. एम.पी.-29/2023/2599
दिनांक 09.02.2023 के संदर्भ में।
2. श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके,
संसद सदस्य (लोक सभा),
219, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
3. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।